सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 03, शुक्रवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 25, *2024* *Kartika 03, Friday, Saka 1946- October 25, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(खण्ड-प्रथम, सीकर)

अधिसूचना

सीकर, सितम्बर 29, 2024

[अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)]

संख्या 10774246 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार **श्रीमाधोपुर से बधाल जिला सीमा तक वाया पटवारी का बास, लाखनी मोड़, कोटडी धायलान, दादिया रामपुरा सड़क सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण** प्रयोजनार्थ निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं।

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव
1	सीकर	रींगस	पटवारी का बास
2	सीकर	रींगस	गंगासागर
3	सीकर	रींगस	पावण्डों की ढाणी
4	सीकर	रींगस	बावड़ी
5	नीमकाथाना	श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर

उक्त सड़क परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का कार्य एसआईए एजेन्सी का चयन कर करवाया जायेगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्याकंन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शुन्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग,

खण्ड-प्रथम सीकर, जिला-सीकर (राज)

फोन नं. 9602310084

ई-मेलः skr_ee@rediffmail.com

आदेश द्वारा

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सा.नि. विभाग,
राजस्थान जयपूर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।